



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख भूस्थानिक निदेशालय
JAMMU & KASHMIR AND LADAKH G.D.

गोल्फ कोर्स रोड नगरोटा जम्मू 181221
GOLF COURSE ROAD, NAGROTA, JAMMU-181221

फैक्स इस्तेमाल FAN TELEPHONE: 0191-2674991, 2674881, 2673062

ईमेल E-Mail: jk.gdc.soi@gov.in



सं० 218/37-जी-9

दिनांक 29-01-2025

नेमी आदेश सं० 02 दिनांक 29-01-2025

(A) PROMOTION

Orders for promotion and posting to the post of Staff Car Driver Grade-I in the pay scale of Pay Matrix Level-5 on regular basis are issued to the following Staff Car Drivers Grade-II:


निम्नलिखित स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II को स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-5 के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति पर तैनाती के आदेश जारी किये जाते हैं :

क्रसं	नाम & पदनाम	पदोन्नति पर पद	पदोन्नति पर वेतनमान	पदोन्नति पर / वर्तमान तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री जोगिन्दर लाल, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II	स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I	लेवल-5	जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जी०डी०	01-01-2025 (F/N)
2.	श्री शम्मी कपूर, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II	स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I	लेवल-5	जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जी०डी०	01-01-2025 (F/N)

2. अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के कर्मचारी के सम्बन्ध में जाति का पुनः सत्यापन किया जाएगा | यदि सत्यापन के बाद वे सम्बंधित जाति के न पाए गए तो उन्हें पूर्व ग्रेड में प्रत्यावर्तित किया जाएगा |
3. पदोन्नति पर कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर.22(1)(a)(1) के अधीन विकल्प देना होगा और विकल्प के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा वेतन तय किया जाएगा |
4. उपरोक्त कर्मचारी स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे |
5. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया सम्बंधित कार्यालय में लम्बित होंगे तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा |

प्राधिकार : (1) SGs पत्रांक संख्या CP-02/1077-ग्रेड-I(26733) दिनांक 01-01-2025 |

संलग्न : यथोपरि |


(अविनाश मिश्र)

अधीक्षण सर्वेक्षक

निदेशक(सामयिक प्रभार)

जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जी.डी.

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्रा को सूचनार्थ ।
3. वैबसाइट भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सूचनार्थ ।
4. सभी अपर महासर्वेक्षक/निदेशक कार्यालयों को सूचनार्थ ।